कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक २५ /ल0सिं0/कार्य0-6/समयवृद्धि/2016-17 दिनांक 12 अप्रैल, 2016

1- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या ए-2-287/दस-2005-24(3)/2005 दिनांक 29.07.2005 के अनुसार निर्माण कार्यो के अनुबन्ध गठित करने तथा गठित अनुबन्धों पर समयवृद्धि प्रदान करने हेतु अधिकार प्रदत्त किये गये हैं जिसके अनुसार कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है किन्तु यह देखने में आया है कि मुख्यालय पर क्षेत्र स्तर से संदर्भित किये जा रहे समयवृद्धि के प्रकरण माँगी गयी समयवृद्धि की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त हो रहे हैं। अनुबन्ध की समय अवधि व्यतीत होने के काफी समय उपरान्त प्रेषित किये गये हैं, बगैर दण्ड के प्रेषित किये गये हैं अथवा प्रस्तावित दण्ड का कोई आधार नहीं दिया गया है, प्रकरण विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं है, समयवृद्धि देने का कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है इत्यादि। इससे यह आभास होता है कि सभी स्तरों पर समयवृद्धि के प्रकरणों पर लापरवाही बरती जा रही है और प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व गम्भीरतापूर्वक परीक्षण नहीं किया जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव कार्यो की प्रगति एवं समयबद्धता पर पड़ रहा है। नियमानुसार समयवृद्धि का प्रकरण दर्शायी गई अन्तिम तिथि को ही निर्णय लेने के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो जाने चाहिए। साथ ही समयवृद्धि का प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व यदि सम्बन्धित ठेकेदार की लापरवाही इंगित होती है तो उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण देते हुए समयवृद्धि के प्रकरण पर संस्तुति की जानी चाहिए।

अतः उक्त सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही किया जाने के निर्देश दिये जाते हैं। कुछ मूलभूत सिद्धान्त जिनका पालन फील्ड में नहीं हो रहा है निम्न प्रकार हैं :-

1- Time is the essence of the contract परन्तु कार्यो को पूर्ण करने पर अपेक्षित ध्यान नहीं है। फलस्वरूप परियोजना लम्बित रहती है और तमाम तरह की कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है। अतः सर्वप्रथम ध्येय यही होना चाहिए कि मूल अनुबन्ध में जो समयावधि निर्धारित है उसी के अन्तर्गत कार्यवाही हो जाये और आवश्यक अपरिहार्य परिस्थितियों एवं उचित कारण हाने पर ही समयवृद्धि के प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए।

2- सामान्यतः समयवृद्धि हेतु सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अनुरोध किया जाता है किन्तु जिस स्तर पर अनुबन्ध हुआ है उस स्तर पर भी यह देखने की आवश्यकता है कि निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण हुए कि नहीं और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित ठेकेदारों को यथा आवश्यक निर्देश दिये गये कि नहीं। अनुबन्ध रजिस्टर पर किये गये अनुबन्ध की पूर्ण जानकारी

रहती है। अतः सभी स्तर पर इसे देखने की आवश्यकता है और समयवृद्धि के प्रकरणों पर संस्तुति करने से पूर्व उक्त बिन्दुओं पर भी स्थिति स्पष्ट होना चाहिए।

3– समयवृद्धि प्रकरण प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता का है किन्तु यह प्रकरण यदि समय से अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत भी कर दिया जाता है तो सहायक अभियन्ता कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता कार्यालय अथवा अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में लम्बित रखे जाते हैं। अतः सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता कार्यालयों में विशेषकर अधिशासी अभियन्ता स्तर पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और यह उनका उत्तरदायित्व है कि समयवृद्धि के प्रकरणों पर ससमय कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

4– अनुबन्ध निष्पादित करते समय कार्यो को पूर्ण करने की अवधि में व्यवहारिकता का ध्यान नहीं रखा जाता है। चेकडैम कम रपटा के कुछ प्रकरणों में पाया गया कि कार्य पूर्ण करने की अवधि मात्र 22 दिन रखी गयी। इसका प्रभाव अन्ततोगत्वा यह होता है कि समयवृद्धि अवश्यम्भावी हो जाती है और तमाम तरह की जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। अतः अनुबन्ध निष्पादित करते समय कार्य पूर्ण करने की अवधि हेतु व्यवहारिकता का ध्यान रखा जाये।

5– समयवृद्धि के प्रकरण ठोस कारणों पर आधारित होने चाहिए जिसमें कार्यो के निर्माण के दौरान होने वाली रुकावटों एवं बाधाओं को स्पष्ट एवं सम्यक रुप से विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। बिना किसी ठोस आधार के समयवृद्धि प्रकरण को भविष्य में अग्रसारित न किया जाय तथा समयवृद्धि प्रकरण के साथ सुविचारित एवं स्पष्ट संस्तुति की जाय। मात्र रुटीन तरीके से प्रकरण अग्रसारित न किया जाय तथा अर्थदण्ड लगाने का मापदण्ड एवं आधार भी स्पष्ट किया जाय।

6– समयवृद्धि प्रकरण भेजते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि कार्यो के निर्माण की क्या स्थिति है और याचित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कराये जाने के समस्त उपाय कर लिये गये हैं। साथ ही समयवृद्धि के प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों के साथ मूल अनुबन्ध की प्रति भी संलग्न की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि समयवृद्धि प्रकरण भिजवाते समय सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लेने के उपरान्त ही प्रकरण भेजा जाये और मुख्य ध्येय यह होना चाहिए कि कार्य समय से पूर्ण हों। यदि ठेकेदार/निर्माणकर्ता द्वारा कार्यो में लापरवाही प्रदर्शित हो तो सिक्योरिटी जप्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता।

पत्रांक /ल0सिं0/कार्य0–6/समयवृद्धि/2016–17 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता।